न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 39/2020 (RCMS : 2020/00039) अनवान अवतार सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह जाति जट सिख, निवासी मौडां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. गुरविन्द्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह 2. दलजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति कम्बोज निवासी चक 40 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 4. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 5. बलराज सिंह पुत्र अवतार सिंह 6. देवेनद्र सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी मौडां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

17.06.2020

पत्रावली पेश हुई। **प्रार्थी के अधिवक्ता** श्री कुलवंत सिंह के अधिकार पत्र पर श्री हरजीत सिंह जौली, अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री हरवीर सिंह, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी अवतार सिह के अभिभाषक श्री कुलवंत सिंह संधू के अधिकार पत्र पर उपस्थित श्री हरजीत सिंह जोली, अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय से वांछित टिप्पणी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है इसलिए बहस हेतु अवसर दिया जावे।

चूंकि प्रकरण के दोनों मुख्य पक्ष जरिए अभिभाषक उपस्थित है, इसलिए टिप्पणी की प्रतीक्षा करनी उचित नहीं होगी। अतः प्रार्थी अभिभाषक अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। प्रार्थी के अभिभाषक के अधिकार पत्र पर उपस्थित अधिवक्ता द्वारा पुनः उक्त कथन ही दोहराया गया।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने एक फहरिस्त दस्तावेज सूची में अंकित दस्तावेजों को पेश करते हुए कथन किया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपनी कृषि पर रास्ते बाबत पेश किया हुआ है जो प्रकरण संख्या 07/2018 अनवानी गुरविन्द्र सिंह बनाम अवतार

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सिंह आदि के रूप में लम्बित है। जिसे प्रार्थी/अप्रार्थी अवतार सिंह द्वारा राजनैतिक प्रभाव का उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर पर गलत आरोप लगाकर अन्यत्र मुंतकिल करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पूर्व में भी उनके द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के विरूद्ध पेश किया था जो उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण उक्त मुंतकिल प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2019 से निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किया जा चुका है और अब भी पुनः वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर पर भी राजनैतिक दबाव के मनगढंत आरोप लगाकर अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 07/2018 अनवानी गुरविन्द्र सिंह बनाम अवतार सिंह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। इस प्रकार प्रार्थी राजनैतिक दबाव के जानबूझ कर मनगढंत आरोप लगाकर प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से बार–बार मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। राजनैतिक दबाव का आरोप साधारण प्रकृति का है जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा राजनैतिक प्रभाव का आरोप कभी भी, किसी पर भी किसी भी समय लगाया जा सकता है। इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष एक निगरानी निगरानी/टीए/4120/2019/गंगानगर अनवानी अवतार सिंह बनाम गुरविन्द्र सिंह व अन्य जो कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के द्वारा उसके प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज करने के आदेश दिनांक 22.07.2019 के विरूद्ध पेश की थी, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 14.02.2020 के आदेश से खारिज की जा चुकी है और पक्षकारों को सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अब वर्तमान में लम्बित प्रकरण

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पर सुनवाई की जा रही है इसलिए अगर प्रार्थी को कोई आपत्ति है तो उसे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

मैनें दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय मे लम्बित प्रकरण संख्या 07/2018 अनवानी गुरविन्द्र सिंह आदि बनाम अवतार सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए. का लम्बित है को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा फहरिस्त सूची के संलग्न इस न्यायालय के मुंतकिल प्रकरण संख्या 91/2019 अनवानी अवतार सिंह बनाम गुरविन्द्र सिंह वगैंरहा में पारित निर्णय दिनांक 23.092019 के अवलोकन से पाया कि पूर्व में प्रार्थी अवतार सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित इसी प्रकरण संख्या 7/2018 को अन्यत्र मुंतकिल किये जाने हेतु तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था जो उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण मुंतकिल प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो जाने के कारण दिनांक 23.09.2019 खारिज कर दिया गया था और **अब पुनः वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष लम्बित इसी प्रकरण संख्या 07/2018 को राजनैतिक दबाव के आरोप लगाकर अन्यत्र मुंतकिल करने की प्रार्थना की गई है।** इस मामले में इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित मामले के गुणदोष पर विचार नहीं करना है केवल मात्र इस बात पर विचार करना है कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही? मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए, जिससे यह ज्ञात हो कि अगर अधीनस्थ न्यायालय से लम्बित प्रकरण को अन्यत्र मुंतकिल नहीं किया गया तो प्रार्थी के साथ अन्याय होगा। प्रार्थी केवल

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

राजनैतिक दबाव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण मुंतकिल करवाना चाहता है। राजनैतिक प्रभाव सम्बन्धी लगाए गए आरोप साधारण प्रकृति है के है और ऐसे आरोप कभी भी, किसी भी समय किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव के लगाए गए उक्त आरोपों के आधार पर मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

दूसरा अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी संख्या निगरानी/टी/4120/2019/गंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2020 के अवलोकन से भी यह पाया कि प्रार्थी अवतार सिंह ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 22.07.2019 के विरूद्ध उक्त निगरानी पेश की जिसमें उपखण्ड अधिकारी ने उसका प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दिवानी खारिज किया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई उक्त निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 14.02.2020 से खारिज कर दी तथा प्रार्थी के विरूद्ध पारित आदेश 22.07.2019 बहाल रखा और दोनों पक्षों को विचारणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया।

चूंकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में प्रकरण की सुनवाई की जा रही है। इसलिए अगर प्रार्थी को उक्त निर्णय से कोई आपत्ति है तों वह सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के आदेशों में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज **किया जाता हैं।** आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर